संलग्नक - 3

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21905120181220

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------------------2--------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00052	डी.के.एस.शिक्षा प्रचार समिति / . / . पंचशील कालोनी मेरठ द्वारा / . / . धर्मेन्द्र कुमार शर्मा / बनारसी दास शर्मा / 65/418पंचशील कालोनी मेरठ आदित्य शिक्षा व संस्कार / . / . प्रसार समिति, जाटान / . / . लिसाडी गेट मेरठ द्वारा / . / . अध्यक्ष राकेश कुमार पुत्र / . / . गिरवर सिंह / . / . उपाध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला / . / . पत्नि महेन्द्र सिंह / . / . प्रबन्धक श्री अशोक कुमार / . / . सैनी एडवोकेट पुत्र गिरवर / . / . सिंह व उपप्रबन्धक / . / . राजकुमार पुत्र गिरवर सिंह / . / . निवासीगण ग्राम लिसाडी गेट / . / . परगना व तहसील जिला / . / . मेरठ / . / .	1414	227'	1.3540		1421फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/ आर0ए0/परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013 -परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खाता स0 00072 के खसरा स0 227 रकबा 1.3540हे0 में से 0.6768 हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खाता स0 00073 के खसरा स0 228/1/1 रकबा 0.4300हे0, लगानी 12.95/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओ यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/ प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णत: लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नही	

महेन्द्र सिंह / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ राकेश कुमार / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ राजकुमार / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ आदित्य सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ ऋषभ सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ राजरानी सैनी पत्नि / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ अरविन्द / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ अश्वनी / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ अनुज / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ अमित / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ				करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिक रण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। ह0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह0 र0का0 5-9-13 1425फ० न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 32/2017 धारा 32/38 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 आदित्य शिक्षा व संस्कार प्रसार समिति बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 621/आर०ए०/परवाना अमलदरामद/2017 दिनांक 13-07-2017 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08-07-2017 को निम्न आदेश पारित किये गये है:- स्थित ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 227 रकबा 1.3540 है० से अरविन्द, अश्वनी, अनुज, अमित पुत्रगण गिरधारी निवासीगण 119 गांधीनगर मेरठ के नाम की प्रविष्टि समाप्त कर खतौनी को दुरुस्त किया जाता है। ह० (संतोष बहादुर सिंह) उप जिलाधिकारी, मेरठ/1191-A/17-7-17/C- 20-7-17	
	1	1.3540	₹40.75	6	0

कुल गाटे- एक   कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव तीन पाँच चार शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - चार शून्य दशमलव सात पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:06:35

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

उद्धरण क्रमांक : 21905120181221

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------------------2--------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00053	डी0के0एस0शिक्षा प्रसार समिति / . / . रजि0 3211 दि0 31.3.93 / . / . मेरठ द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार / . / . शर्मा पुत्र बी0डी0शर्मा नि065/4 / . / . गली-8 पंचशील कालोनी मेरठ / . / .	1412	228/1/1	0.4300		1421फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/आर0ए0/ परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013 -परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खाता स0 00072 के खसरा स0 227 रकबा 1.3540हे0 में से 0.6768हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खाता स0 00073 के खसरा स0 228/1/1 रकबा 0.4300हे0, लगानी 12.95/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णत: लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नही करेगा। यदि मेरठ विकास	

11-12-2018 12:07

२२८।१ ।१ स्थित ग्राम सरायकाजी परगना व तहसील

				प्राधिक रण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। ह0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह0 र0का0 5-9-13	
1	0.4300	₹ 12.95	5		0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव चार तीन शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक दो दशमलव नौ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:07:28

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21905120181226

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00016	आबिद अली / एजाज़ुद्दीन / 55,तोपचीवाड़ा मेरठ अब्दुलवहाव / एजाज़ुद्दीन / 55,तोपचीवाड़ा मेरठ साजिद / एजाज़ुद्दीन / 55,तोपचीवाडा, मेरठ	1386	226	1.0560		1425फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ वाद सं० T201711522012668/02-8-17 को आदेश हुआ कि ग्राम सरायकाजी परगना मेरठ के खाता सं० 16 के गाटा संख्या 226/1.0560 है० भू०रा० 45.95 रू० के अपने भाग मे से क्षे० 0.3520 है० से विक्रेतागण आबिद अली व अब्दुल बहाब पुत्रगण ऐजाज़ुद्दीन नि०गण 55 तोपचीवाडा मेरठ शहर के नाम निरस्त करके क्रेता डी०के०एस० शिक्षा प्रसार समिति पंजीकृत कार्यालय पंचशील कालोनी गढ रोड मेरठ द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बनारसी दास शर्मा नि० 65/4/8 पंचशील कालोनी मेरठ शहर का नाम बजरिये विक्रयपत्र दिनांक 13-06-2017 बतौर संक्रमणीय भूमिधर अभिलेख में दर्ज होवे। ह०अ० नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ 2-8-17/C-5-8-17	
			1	1.0560	₹ 45.95	1	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव शून्य पाँच छ: शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार पाँच दशमलव नौ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 14-12-2018 10:34:12

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

Mohd. Saleem Alvi
Advocate, Meerut
Regd No 12888/00 U.P.

लीज डीड।

हम कि डी०के० एस० शिक्षा प्रसार समिति द्वारा सैक्रेटरी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बनारसी दास निवासी ६५।४।८ पंशील कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ शहर ------------------ प्रथम पक्ष।

व

श्री डी० एस० गुरुकुल आफ एजुकेशन अध्यक्ष द्वारा श्री डी० के० शर्मा पुत्र श्री डी०डी० शर्मा निवासी सेक्टर ८ जागृति विहार, गढ़ रोड मेरठ---- द्वितीय पक्ष।।

जो कि एक सम्पत्ति जिसका कवर्ड क्षेत्रफल ९१९९ नौ हजार एक सौ निन्यानवे वर्गफिट है तथा कुल क्षेत्रफल ५००३ पांच हजार तीन वर्गमीटर है जिनमें से खसरा नम्बर २२७ व २२८।१।१ स्थित ग्राम सरायकाजी परगना व तहसील व जिला मेरठ निम्न सीमित के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष संस्था के प्रयोजनार्थ चंदन १,०००।- एक हजार रूपये सालाना

Meerut

SECRETARY
D.K.S. SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

12

50 Rs.

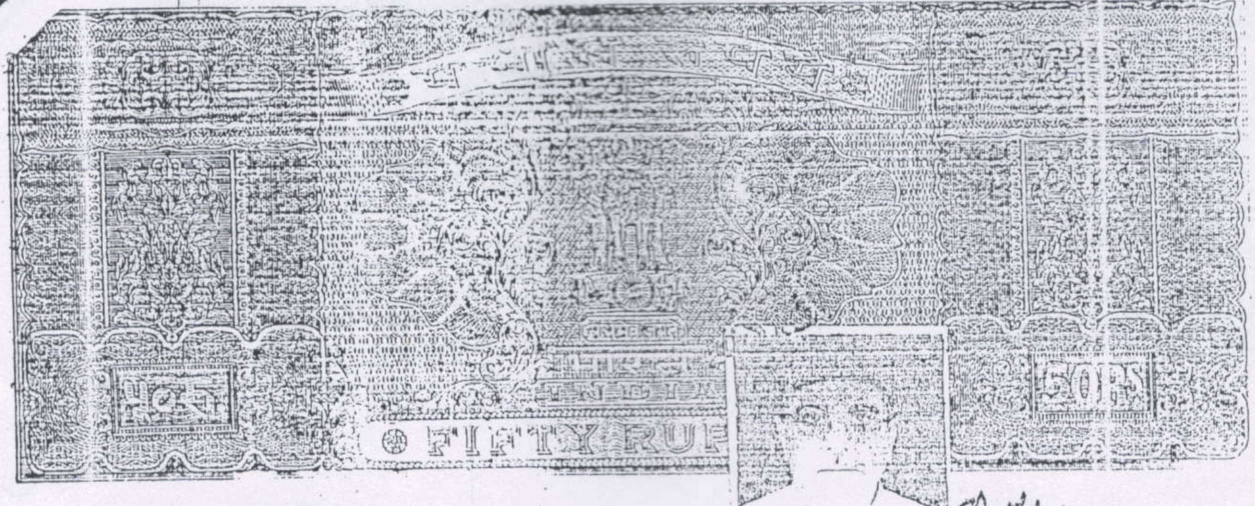

Mohd. Saleem Alvi
Advocate, Meerut
Regn. No. 12866/00 U.P.

-२-

लीज पर द्वितीय पक्ष को प्रदान किया है। अत: उभय पक्ष निम्न नियमों के बाध्य होते हैं :--

।१। यह कि इस लीजकी अवधि ३० तीस वर्ष की होगी जो दिनांक १७-१-०३ ई० से प्रारम्भ होगी और सालाना आधार पर रहेगी। तथा १६-१- २०३३तक कायमरहेगी।

।२। यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति का स्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को शिक्षा कार्य हेतु प्रयोग में लाने के अधिकारी रहेंगे। उनके इस अधिकार में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति ना होगी।

।३। यह कि द्वितीय पक्ष अंकन १,०००।- एक हजाररूपये प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की प्रथम माह में चैक अथवा कैश द्वारा अदा करते रहेंगे तथा उसकी रसीद प्राप्त करते रहेंगे, बिना रसीद कोई किराया मान्य ना होगा।

४यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को केवल शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रयोग में ला सकेंगे तथा उसमें आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य प्रथम पक्ष की अनुमती से करने के अधिकारी होंगे।

।५। यह कि रंगाई पुताई आदि का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे तथा गृहकर सम्बन्धी खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेंगे।

।६। यहकि उपरोक्तसम्पत्ति में द्वितीय पक्ष अपने नाम से विद्युत कनकशन प्राप्त करने के अधिकारीरहेंगे तथा उससे सम्बन्धित विद्युत उपभोग का भुगतान स्वंय द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी विद्युत बिल के बकाया की अदायेगी का वास्ता प्रथम पक्ष से न होगा।

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR S...
MEERUT

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

।७। यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति कोई अवैधानिक कार्य नहीं करेगें। यदि द्वितीयपक्ष द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति में कोई अवैधानिक कार्य भविष्य में किया जायेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष अथवा उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

।८। यहकि द्वितीय पक्षद्वारा जो निर्माण उपरोक्त सम्पत्ति में अतिरिक्त किया जायेगा उसको लीज समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष हटाने के अधिकारी रहेगें तथा जिसस्थिति में आज निर्माण हुआ है उसी स्थिति का कब्जा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रदान करने के पाबंद रहेगें। कोई आपत्ति ना होगी।

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

Director
B D S Institut of Education
Jagriti Vihar, Meerut

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

-४-

।८। यह कि लगातार ३ तीन वर्ष की अवधि का किराया द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष कोन देने की स्थिति में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उनको किरायेदारी से बेदखल कर दें तथा अपना बकाया किराया न्यायालय की व्यवस्था द्वारा प्राप्त कर लें और उक्त सम्पत्ति का कब्जा द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

।९। यह कि उपरोक्त नियमों के उभय पक्ष पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे अत: यह लीज डीड अवधि ३० तीस वर्ष लिख दी कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति

।। सीमायें उपरोक्त सम्पत्ति ।।

पूरब- कालोनी सोमदत्त विहार।
पश्चिम- सड़क आवारा विहार।

B. L. S. ... of Education
Jagriti Vihar, Meerut

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

SECRETARY
DKS SHIKSHA PRASAR SAMITI
MEERUT

12

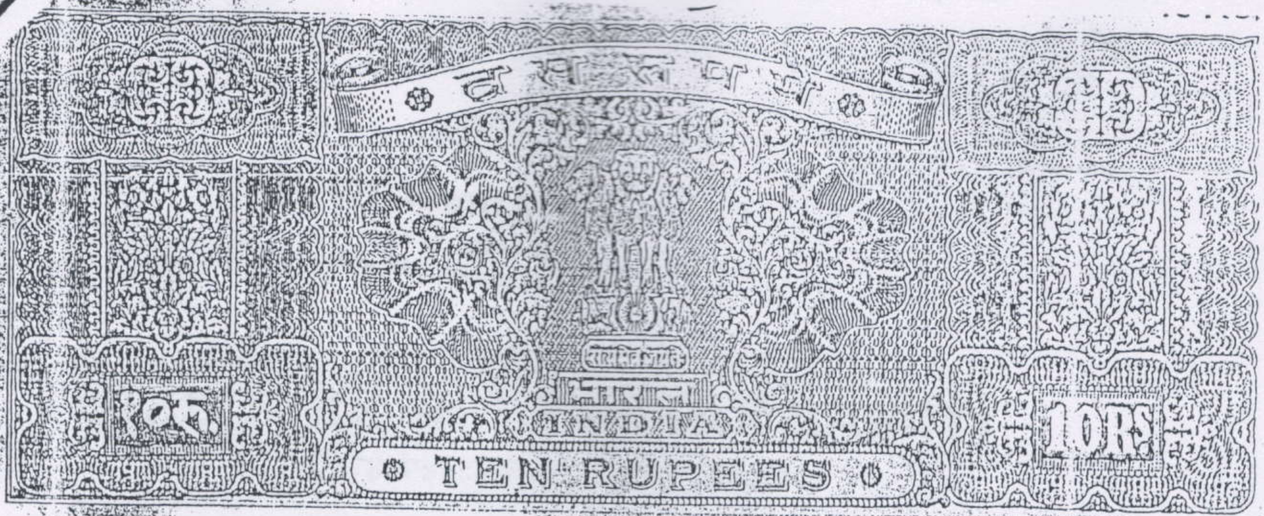

-५-

उत्तर:- कालोनी सोमदत्त विहार ।

दक्षिण- भूमि अन्य व्यक्ति ।

M.K. Sharma Adv.

Manoj Kumar Sharma
Advocate Meerut
Regd. No. 8627/20..

तहरीर तारीख:-११-९-०३ ई० मसविदा श्री मो० सलीम अल्वी, एडवोकेट व -टाइप सतप्रकाश मेरठ ।।।

Mohd. Saleem Alvi
Advocate, Meerut
Regn. No. 1888/00 U.P.

Principal
B. D. S. C... of Education
Jag... , Meerut

SECRETARY
UKS SHIKSHA PRASAR SAMITI

संलग्नक-4

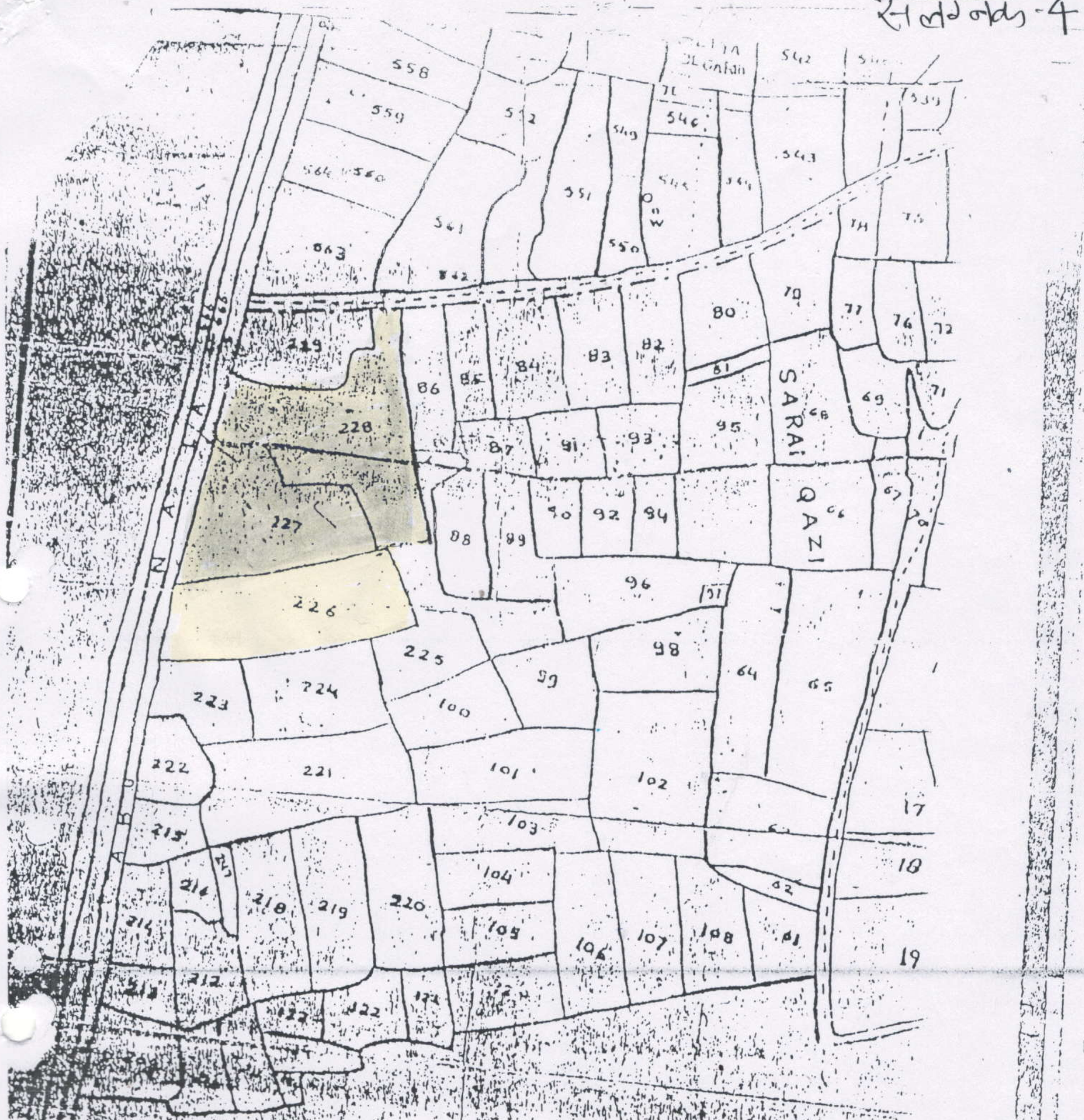

योजना हेतु अर्जित की जाने वाली प्रस्